संख्या– 782 /XXVII(9)/स्टाम्प–13/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 08 नवम्बर, 2010

विषयः– **कार्यालय उप–निबन्धक, देहरादून के एक मंजिला भवन के पोटा केबिन निर्माण कराये जाने हेतु ₹ 20.19 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–484/म0नि0नि0/2010–11 दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–142/XXVII(9)/2010/स्टाम्प/2010 दिनांक 03.03.2010 द्वारा स्वीकृत उक्त कार्य के आगणन ₹ 86.88 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा पुनरीक्षित आगणन की आगणित धनराशि ₹ 45.19 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुये पूर्व में अवमुक्त ₹ 25.00 लाख की धनराशि को कम करते हुये प्रश्नगत कार्य की अवशेष धनराशि ₹ 20.19 लाख (रूपये बीस लाख उन्नीस हजार मात्र) अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैः–

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये, जितनी राशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

क्रमश....2

(5) कार्य करने से पूर्व औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय।

(7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य कर लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात किये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(8) निर्माण साम्रगी को उपयोग में लाने से पूर्व साम्रगी का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त साम्रगी को ही प्रयोग में लाया जाए।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(10) अनुरक्षण कार्य "उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स, 2008" के प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जायेगा।

(11) निर्माण कार्य का आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नही किया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित लागत एवं निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने का अनुबन्ध कार्यदायी सस्था के साथ कर लिया जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष, 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के मुख्य लेखाशीर्षक–4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनेत्तर – 80–सामान्य, 800–अन्य भवन –00 –03 –स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य), 24– वृहत निर्माण के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त
(आंगणन की प्रति सहित)।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

क्रमश.....3...

782

संख्या– (1)/XXVII(9)/स्टाम्प–13/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव/अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 वित्त मंत्री जी) उत्तराखण्ड।
7– अपर, महानिरीक्षक, निबन्धन, (मुख्यालय) उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
अनु सचिव।